# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालसा–संस्था/2015/ 08 दिनांक :– 18.03.2015

परिपत्र

## विधिक सहायता एवं सचल लोक अदालत हेतु मोबाईल वैन का उपयोग

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 मोबाईल वैन तैयार की गई है, जिनका उपयोग विधिक साक्षरता के साथ–साथ सचल लोक अदालत के रूप में करने की योजना बनायी गई है ताकि **"न्याय आपके द्वार"** की संकल्पना साकार हो सके ।

## मोबाईल वैन का कार्यक्रम

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक संभाग के लिये एक मोबाईल वैन आवंटित की जायेगी।

2. प्रत्येक जिले में मोबाईल वैन का कार्यक्रम तीन सप्ताह का रहेगा। सप्ताह का प्रारम्भ सोमवार से और अन्त तृतीय सप्ताह के रविवार को होगा। जिले में मोबाईल वैन का दिन–प्रतिदिन का कार्यक्रम संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जायेगा।

3. सर्वप्रथम संभाग मुख्यालय के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जिले का तीन सप्ताह का दिन–प्रतिदिन का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा तदुपरान्त उनके द्वारा संभाग के प्रत्येक जिले में क्रमानुसार तीन सप्ताह की अवधि निर्धारित करते हुए संभाग के सभी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

संभाग मुख्यालय के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों की क्रमानुसार अवधि तय करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि मोबाईल वैन को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर अनावश्यक अधिक दूरी तय नही करनी पड़े और मोबाईल वैन का संचालन सुगमता से एक जिले से दूसरे जिले में होता रहे।

4. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में रूट चार्ट एवं दिन–प्रतिदिन का कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से तैयार करेगें। जिला मुख्यालय को कवर करने के पश्चात तालुका/उपखण्ड वार कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। तालुका मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं मुख्य–मुख्य गॉवों में मोबाईल वैन का दूरी व समय का हिसाब रखते हुए कार्यक्रम बनाया जायेगा।

5. अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के प्राचार्यों से उनके विद्यालय/महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का समय पहले से तय किया जायेगा। अलग–अलग गॉवों के विद्यालयो/महाविद्यालयों में अलग–अलग समय तय कराया जायेगा। नियत समय पर मोबाईल वैन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय पहुँचेगी जहॉ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जायेगा।

इसी तरह शाम के समय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विधिक साक्षरता शिविर व डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के प्रसारण की व्यवस्था की जायेगी।

6. शाम को अपना कार्य समाप्त होने के पश्चात मोबाईल वैन पर तैनात कर्मचारीगण के ठहरने की माकूल व्यवस्था होने पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मोबाईल वैन सहित कर्मचारीगण रहेंगे अन्यथा नजदीकी उचित व्यवस्था वाले स्थान पर रहेंगे, जो पहले से संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किया जायेगा।

7. मोबाईल वैन के कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति के साथ–साथ स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी पंचायत समिति को भी दी जावे। संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों को एवं स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से बच्चों को भी सूचना दी जावे ताकि मोबाईल वैन के आने की जानकारी सभी लोगों को मिल सके।

8. मोबाईल वैन के कार्यक्रम की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को दिये जाने वाले पत्र के साथ मोबाईल वैन के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों का पम्फलेट भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे ताकि लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके। उनमें कार्यक्रमों में शामिल होने के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो तथा यह योजना सफल हो सके। उक्तानुसार पम्फलेट सलग्न है।

9. मोबाईल वैन के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार स्थानीय मीडिया के माध्यम से भी किया जावे।

10. मोबाइल वैन का कार्यक्रम संभागीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने संभाग के सभी जिलों से एकत्रित कर पूर्ण समन्वय रखते हुये इस कार्यालय को आगामी माह से 15 दिन पूर्व प्रेषित किया जाएगा।

## मोबाईल वैन द्वारा विधिक साक्षरता

संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोबाईल वैन के साथ स्थानीय विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल लॉयर एवं दो पैरा लीगल वॉलेन्टियरर्स) को भेजा जायेगा जो ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं गॉवों में स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अलग–अलग समय पर दिन में एवं ग्राम पंचायत भवन पर शाम को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेगें। दोनों स्थानों पर विधिक सेवा कार्यक्रम एवं दैनिक उपयोग में आने वाले कानूनों की तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगें। लोगों की शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करेंगें। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक आवेदन करने में उनको मद्द करेंगे।

विशेषकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी जन–जन तक पहुँचाना सुनिश्चित करेगें।

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विधिक जागरूकता टीम द्वारा दी जाने वाली जानकारी एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित सामग्री प्रत्येक मोबाईल वैन पर उपलब्ध रहेगी जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा। यह सामग्री समाप्त होने पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एडवान्स में तैयार कराई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मोबाईल वैन में आवश्यक पम्फलेट और प्रचार सामग्री मौजूद रहे।

प्रतिदिन ग्राम पंचायत मुख्यालय के पंचायत भवन पर सर्दियों में सॉय 5.30 से 6.30 बजे तक तथा गर्मीयों में सॉय 6.30 से 7.30 बजे तक विधिक साक्षरता शिविर के साथ–साथ प्रोजेक्टर स्क्रीन पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म आदि प्रसारित की जायेगी, जिसकी पूर्व सूचना पम्फलेट एवं विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से स्थानीय विद्यालय में अध्यनरत छात्रों के जरिये सभी लोगों तक पॅहुचाई जायेगी।

## यूनिसेफ का प्रचार–प्रसार में सहयोग

यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के संरक्षण तथा बाल कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में प्रचार सामग्री तैयार की है तथा डाक्यूमेन्ट्री फिल्में भी बनाई है। यूनीसेफ की टीम भी मोबाईल वैन के साथ रहेगी जो आवश्यक प्रचार सामग्री वितरित करेगी और बाल अधिकारों के संबंध में डाक्यूमेन्ट्री फिल्म प्रसारित करेगी। मोबाइल वैन पर तैनात कर्मचारीगण यूनिसेफ की टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे एवं उनके साथ समन्वय बनाये रखेंगे।

## मोबाईल वैन का सचल लोक अदालत के रूप में उपयोग :—

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोबाईल वैन के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों को निर्देशित करेंगें कि वे संबंधित गॉवों के लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होने योग्य प्रकरणों को पहले से चिन्हित करें। पक्षकारों / अधिवक्ताओं को सुन कर सचल लोक अदालत के लिये प्रकरण रेफर करें। पक्षकारों को निर्धारित तिथि, समय तथा स्थान की सूचना दें। मामले रेफर होने पर लोक अदालत बैंच का गठन करें जिसमें न्यायिक अधिकारी के रूप में यदि कोई स्थानीय सेवा निवृत न्यायिक अधिकारी उपलब्ध है तो उसे और यदि वह उपस्थित नही है तो नजदीकी न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय और उसके उपलब्ध नहीं होने पर न्यायिक कार्य समाप्त होने के पश्चात किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को शामिल करें तथा विधि व्यवसायी के रूप में विधिक जागरूकता टीम के पैनल लॉयर को सदस्य के रूप में शामिल किया जाये।

लोक अदालत के लिये निर्धारित तिथि के पूर्व प्रकरण की पत्रावली भी सचल लोक अदालत पर पहुँचाने की व्यवस्था करें।

लोक अदालत के लिये प्रकरण रेफर होने की सूरत में स्थानीय विधिक सेवाओं के लिये चयनित मोबाईल वैन पर तैनात लिपिक रेफर किये गये प्रकरणों का रिकार्ड प्राप्त करेगा तथा लोक अदालत मे निस्तारण के पश्चात प्रकरण का रिकार्ड संबंधित न्यायालय को प्रेषित करेगा।

## मोबाइल वैन का रख–रखाव

माह अप्रैल के अन्त तक मोबाइल वैनों के लिये स्थायी चालकों की नियुक्ति हो रही है, सभी मोबाइल वैनो पर फिलहाल अस्थाई चालकों की नियुक्ति की गयी है, फिर भी यदि कोई अस्थायी चालक बीच में छोड़ कर चला जाता है, तो अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जावे। वाहन चालक के अभाव में वैन खड़ी नही रहेगी।

मोबाइल वैन में डीजल व्यवस्था संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। गाड़ी की आवश्यक मरम्मत भी संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा करायी जायेगी एवं सभी सर्विस भी नियमित अन्तराल पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा करायी जायेगी।

पूर्व में मोबाईल वैन के संचालन के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हुए हैं। जिनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है किसी प्रकार की असुविधा व कठिनाई होने पर इस कार्यालय से सम्पर्क करें।

**मोबाईल वैन पर स्टाफ की नियुक्ति और उनके ठहरने की व्यवस्था :–**

संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जिले में मोबाईल वैन पर एक सहायक कर्मचारी एवं विधिक सेवा के एक लिपिक की ड्यूटी लगाई जायेगी। लिपिक मोबाईल वैन पर उपलब्ध पुस्तकें, कम्प्यूटर, प्रिन्टर व अन्य सामग्री तथा रिकार्ड का चार्ज लेगा और अपने जिले का कार्यक्रम पूरा होने पर सीमावर्ती जिला के लिपिक को चार्ज संभलायेगा, मोबाईल वैन पर तैनात लिपिक लोक अदालत के लिये रेफर हुये प्रकरणों का रिकार्ड प्राप्त करेगा, लोक अदालत की कार्यवाही सम्पादित करेगा तथा प्रकरण का निस्तारण होने के पश्चात पत्रावली संबंधित न्यायालय को भिजवायेगा। मोबाईल वैन पर एक रजिस्टर निम्न प्रारूप में संधारित किया जायेगा जिसमें मोबाईल वैन पर तैनात लिपिक द्वारा नियमित रूप से प्रविष्ठीयॉ की जायेगी और अपने जिले का संकलित विवरण इसी प्रारूप में संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

चार्ज लेने देने के लिये इसी रजिस्टर के प्रथम पॉच पृष्ठ सुरक्षित रहेंगे जिनमें मोबाईल वैन पर उपलब्ध समस्त सामग्री का विवरण अंकित रहेगा जिस पर जिलेवार चार्ज हस्तान्तरण होता रहेगा ताकि बार–बार, अलग–अलग चार्ज रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी।

**यह विवरण निम्न प्रोफार्मा में संधारित किया जायेगा:–**

| क.सं. | कार्यक्रम स्थल का विवरण | कार्यक्रम दिनांक व समय अवधि | कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण | कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

झा/

क्रमांकः                                                                 दिनांक :

प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश), समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/3/15

उप सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर